

05  
13/1/2021

त्रैमासिक निरीक्षण- माह दिसंबर-2020

द्वारा

रनवीर सिंह

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी० द्वितीय/

विशेष न्यायाधीश (रैगिस्टर ऐक्ट), गोण्डा।

निरीक्षण तिथि-19-12-2020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा।

पीठासीन अधिकारी..... रमवीर सिंह, एच0जे0एस0

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या बावत चतुर्थ त्रैमास माह दिसम्बर, 2020

वर्तमान निरीक्षण आख्या की तिथि 19.12.2020

1- मैंने आज दिनांक 19.12.2020 की तिथि में विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर ऐक्ट)/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा के न्यायालय/कार्यालय का त्रैमासिक निरीक्षण सम्पादित किया इसके पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा त्रैमासिक निरीक्षण दिनांक 19.09.2020 किया गया था। यह कैलेण्डर वर्ष 2020 का चतुर्थ त्रैमासिक निरीक्षण है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रश्नावली के अनुसार निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार से है-

#### प्रश्नावली-1

पूर्व त्रैमासिक निरीक्षण आख्या उपलब्ध है।

#### प्रश्नावली-1ए

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस न्यायालय के रीडर द्वारा निरीक्षण के दौरान न्यायालय की पत्रावलियों की सुरक्षा एवं रख-रखाव उचित प्रकार से किया गया है और पीठासीन अधिकारी, माननीय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा तथा माननीय उच्च न्यायालय के निरीक्षण आख्या के अनुसार पत्रावलियों को व्यवस्थित रूप से रखा गया है। इस सम्बन्ध में किसी भी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

#### प्रश्नावली-1बी

गुन्सरिम/पेशकार के द्वारा अर्द्धवार्षिक निरीक्षण सम्पादित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में गुन्सरिम/पेशकार को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत समय पर अर्द्धमासिक निरीक्षण नियमानुसार सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

#### प्रश्नावली-1सी.

निरीक्षण के दौरान सत्र लिपिक द्वारा बताया गया कि इस त्रैमास में स्टाम्प निरीक्षक द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया गया है।

#### प्रश्नावली-2

इस न्यायालय में निरीक्षण की तिथि पर निम्नलिखित कर्मचारी कार्यरत हैं:-

क्र0सं0	नाम कर्मचारीगण	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री जे0पी0 शर्मा	(मुंसरिम/रीडर)	30.08.2019
2	श्री महफूज अली	(आशुलिपिक)	07.07.2018
3	श्री दिलीप यादव	(सत्र लिपिक) कार्यवाहक	08.12.2020
4	श्री सर्ईद अहमद	अनुसेवक	23.11.2020
5	श्री अजय कुमार	(कार्यालय चपरासी )	23.11.2020

**प्रश्नावली-20सी**

इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली-20डी**

इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली-20ई**

इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

**प्रश्नावली-20एफ**

निरीक्षण के दौरान कार्यवाहक राज लिपिक द्वारा बताया गया कि निम्नादन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अदिलम्ब रजिस्टर संख्या-68 में नियमानुसार दर्ज किया जाता है।

20 जी- इस न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है।

मैंने निरीक्षण के समय मुंसरिम/पेशकार द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं का अवलोकन किया, जो निम्नलिखित है-

#### उपस्थिति पंजिका

यह पंजिका मुंसरिम/रीडर द्वारा उचित प्रकार से बनाया गया है जो दिनांक 01.05.2008 अनुरक्षित किया जिसमें लेविल नहीं लगा है। इसमें प्रति दिन कर्मचारियों के उपस्थित होने के सम्बन्ध में कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं, जिसके उपरान्त सत्यापन हाजिरी रजिस्टर मेरे समक्ष अवलोकनार्थ रखा जाता है। मुंसरिम/रीडर को निर्देशित किया जाता है कि उपस्थिति पंजिका में नियमानुसार लेविल लगाकर उपस्थिति पंजिका प्रत्येक दिवस मेरे समक्ष अवलोकनार्थ रखा जाना सुनिश्चित करें।

#### आकस्मिक अवकाश रजिस्टर

यह रजिस्टर भी मुंसरिम रीडर द्वारा बनाया गया है। जो दिनांक 26.09.2005से अनुरक्षित किया जा रहा है। इस रजिस्टर में कर्मचारियों द्वारा किये गये आकस्मिक अवकाश का इन्द्राज किया जाता है। इन्द्राज करने के उपरान्त मुंसरिम रीडर द्वारा इस रजिस्टर को पीठासीन अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षर हेतु रखा जाता है।

#### पंजिका प्रारूप सं०-103

यह पंजिका प्रारूप संख्या 103 अध्याय-14 नियम 408 सामान्य नियम व्यवहार दिनांक 13.08.2018 से अनुरक्षित किया गया है, जिसमें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर लगे टिकटों की धनराशि की अंकना की जाती है। इस पंजिका में लेविल हेडिंग चस्पा किया गया है। उक्त पंजिका के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मुंसरिम/पेशकार द्वारा उक्त पंजिका में लाल स्याही से दैनिक योग किया गया है तथा साप्ताहिक एवं मासिक योग नहीं किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 18.12.2020 को मु० 12/- रु० अंकित है। अतः पेशकार को निर्देशित किया जाता है कि वह साप्ताहिक एवं मासिक योग नियमानुसार सुनिश्चित करते रहें व नित्यप्रति इसका अवलोकन पीठासीन अधिकारी को करायें।

### बयान शुल्क पंजिका

यह पंजिका मुंसरिम/पेशकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2019 से नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गयी है। पंजिका में लेबिल हेडिंग चरपा नहीं और न ही पंजिका में साप्ताहिक व मासिक एवं त्रिमासिक योग अंकित है। पेशकार को निर्देशित किया जाता है कि वह लेबिल-हेडिंग नियमानुसार अविलम्ब चरपा करते रहें। पंजिका में साप्ताहिक, मासिक एवं त्रिमासिक योग अंकित किया गया है। पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 12.12.2020 को 100/- रु० अंकित है, जिसे उसी दिन कैशियर को प्राप्त कराया गया है। पेशकार द्वारा यह बताया गया कि बयान शुल्क की राशि प्रायः उसी दिन कैशियर को प्राप्त कराकर कैशियर के रूख हस्ताक्षर बनवाये जाते हैं।

श्रीम  
जी का  
पि का  
नं प्रो  
किमा  
18

### पेशकार की डायरी

इस पंजिका को मुंसरिम/पेशकार द्वारा दिनांक-17.10.2020 से प्रारम्भ किया गया है। प्रस्तुतकर्ता द्वारा अनुरक्षित डायरी में लेबिल व हेडिंग नियमानुसार चरपा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रस्तुतकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी डायरी में लेबिल व हेडिंग नियमानुसार चरपा करें। पंजिका में वादों की अंकना नियमानुसार की गयी है और निवत वादों को आगे की तिथियों में बढ़ाया गया है लेकिन पंजिका में अधिवक्ताओं के नाम का अंकन होना नहीं पाया गया। इस संबंध में मुंसरिम/पेशकार को निर्देशित किया जाता है कि वे डायरी में वादों के सामने संबंधित अधिवक्ता का नाम अंकित किया करें। भेरे द्वारा अपनी डायरी से प्रस्तुतकर्ता की डायरी का मिलान किया गया तो पाया गया कि सभी वादों की अंकना जो भेरी डायरी में है, वहीं प्रस्तुतकर्ता की डायरी में है।

15- मैंने वादलिपिक द्वारा अनुरक्षित फौजदारी/सिविल वादों से संबंधित पंजिकाओं का अवलोकन किया, जो निम्नलिखित हैं-

### अर्धदण्ड पंजिका

मैंने इस न्यायालय में अनुरक्षित प्रपत्र संख्या-2 (अध्याय 1X नियम 71 तथा 82) सामान्य नियम फौजदारी अर्धदण्ड पंजिका का अवलोकन किया। यह पंजिका माह 01.01.2015 से प्रारम्भ है। वह इस पंजिका में लेबिल एवं हेडिंग चरपा है। इस पंजिका में न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्धदण्ड की अंकना किया गया है, जो नियमानुसार है। कार्यवाहक सत्र लिपिक द्वारा पूछने पर बताया गया कि न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्धदण्ड की घनराशि न्यायालय में जमा होने के दिन या उसके दूसरे दिन नजार्त अनुभाग में कैशियर को प्राप्त करा दिया जाता है। रजिस्टर में माह नवम्बर 2020 तक की फलाई लीफ चरपा है।

### पंजिका प्रारूप सं०-12

यह पंजिका सा० नि० फौजदारी अध्याय 17 नियम 168 सामान्य नियम दाण्डिक प्रकीर्ण वादों की पंजिका के तहत तैयार की गयी है, पंजिका में लेबिल व हेडिंग चरपा है। इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि 18.07.2020 दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या-405/2019, हरिप्रसाद बनाम सरकार अंकित है।

#### पंजिका प्रारूप 12 ए

यह पंजिका जमानत प्रार्थना-पत्र से संबंधित है। इस पंजिका जो अध्याय 17 नियम 168 सामान्य दाण्डिक के तहत दिनांक 23.01.2015 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका पर लेबल व हेडिंग चरपा है और सत्र लिपिक द्वारा बताया गया है। इस पंजिका में, स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त, जमानत प्रार्थना पत्रों की अंकना की जाती है। निरीक्षण के समय इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि 19.12.2020 की जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1681/2020, राम सिंह नीवा बनाम सरकार अंकित है एवं निरीक्षण के समय रैगिस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित पंजिका दिनांक 16.05.2017 से अनुरक्षित की जा रही है, जिसमें निरीक्षण के समय अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 19.12.2020 को जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-1739/2020 बब्बु सोनकर बनाम सरकार अंकित है।

#### पंजिका प्रारूप सं0-13

यह पंजिका दाण्डिक अपील से संबंधित है जो दिनांक 20.04.2015 से प्रारूप 17 नियम 166 के अन्तर्गत अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में हेडिंग लेबल चरपा है। इस पंजिका में प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार की गई हैं। सत्र लिपिक को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करते रहें। निरीक्षण के समय इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 06.06.2019 आपराधिक अपील सं0 50/2000 प्रसिद्ध नरायण प्रति सरकार अंकित है। पंजिका में माननीय जनपद न्यायाधीश व अन्य अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों से अन्तरण के द्वारा प्राप्त आपराधिक अपील से संबंधित वादों की अंकना लाल स्याही से की गयी है।

#### पंजिका प्रारूप सं0-14

यह पंजिका दाण्डिक पुनरीक्षण से संबंधित है। यह पंजिका दिनांक 04.03.2015 से अध्याय 17 नियम 167 द0प्र0सं0 के तहत तैयार की गयी है। पंजिका में लेबल व हेडिंग नियमानुसार चरपा किया गया है। इस पंजिका में आपराधिक पुनरीक्षण से सम्बन्धित पत्रावलियों जो स्थानान्तरण से प्राप्त होती है उन्हें लाल स्याही से दर्ज किया जाता है। इस पंजिका की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 07.12.02020 दाण्डिक पुनरीक्षण वाद कप्तान सिंह बनाम देवराज सिंह अंकित है।

#### पंजिका प्रारूप सं0-15

यह पंजिका सत्र परीक्षण वादों से संबंधित है। यह पंजिका प्रारूप 15 अध्याय 17 नियम 168 सामान्य नियम दाण्डिक के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2014 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में हेडिंग लेबल चरपा है। इस पंजिका में प्रविष्टियाँ स्तम्भानुसार की गई हैं। निरीक्षण के समय इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 27.11.2020 सत्र परीक्षण सं0 248/2018 राज्य प्रति मुकेश हासदा अंकित है। पंजिका में माननीय जनपद न्यायाधीश व अन्य अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों से अन्तरण द्वारा प्राप्त सत्र परीक्षणों से संबंधित वादों की अंकना लाल स्याही से की गयी है।

#### फैसला रजिस्टर प्रारूप सं0-45

इस पंजिका में न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों की अंकना की जाती है। यह पंजिका मा नवम्बर, 2018 से निर्मित है। इस पंजिका में प्रत्येक माह निर्णीत होने वाले वादों की अंकना

गई है। पंजिका पर हेडिंग व लेबिल चरपा है। इस रजिस्टर में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक-07.11.2020 सत्र परीक्षण संख्या-08/2019 सरकार प्रति दीपू पूरे अंकित है। इस रजिस्टर में स्तम्भानुसार प्रविष्टियां की गयी हैं।

#### पंजिका प्रारूप संख्या-46

यह पंजिका विशेष सत्र परीक्षण रजिस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित है। यह पंजिका प्रारूप-46 अध्याय-09 के अन्तर्गत दिनांक 11.05.2017 से अनुरक्षित की गयी है। इस पंजिका में हेडिंग लेबिल चरपा है। इस पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार की गई हैं। सत्र सिविक को निर्देशित किया जाता है कि यह प्रविष्टियां स्तम्भानुसार किया जाना सुनिश्चित करते रहें। निरीक्षण के समय इस पंजिका में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 11.12.2020, विशेष सत्र परीक्षण वाद सं० 06/2020 राज्य प्रति हरिश्चन्द्र उर्फ सरजू, अंकित है।

#### रजिस्टर प्रारूप संख्या-05

इस पंजिका में अपीलीय न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त मांग पत्रों की अंकना की जाती थी। यह पंजिका दिनांक 03.06.2014 के अध्याय 3 नियम 130 एवं 132 सामान्य नियम दायिदक के तहत तैयार की गई है। इस पंजिका में हेडिंग लेबिल चरपा है। इस पंजिका में प्रविष्टियां स्तम्भानुसार की गई हैं। निरीक्षण के समय इस पंजिका को अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 16.11.218 सत्र परीक्षण संख्या-09/2017 राज्य प्रति लखन धाना इटियाद्योक, मोण्डा अंकित है।

#### सिविल वादों से सम्बन्धित पंजिका

##### रजिस्टर प्रारूप संख्या-9

इस पंजिका में स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त सिविल अपील वादों की अंकना की जाती है। यह पंजिका जादेश 41 नियम 9 सी०पी०सी० के अन्तर्गत 06.08.2015 से अनुरक्षित की गई है, जिसमें हेडिंग लेबिल चरपा है। इस रजिस्टर में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 08.08.2019 सिविल अपील संख्या 09/2019 अशोक कुमार बनाम जोगी लाल अंकित है। इस रजिस्टर में स्तम्भानुसार प्रविष्टियों की गयी हैं।

#### सिविल निगरानी पंजिका

इस पंजिका में स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त दीवानी निगरानी से सम्बन्धित वादों की अंकना की जाती है। यह पंजिका दिनांक 06.08.2015 से अनुरक्षित की गई है, जिसमें हेडिंग लेबिल चरपा है। इस रजिस्टर में अन्तिम प्रविष्टि दिनांकित 28.09.2019 सिविल निगरानी संख्या 59/2019 सहजराब बनाम विद्यावती अंकित है। इस रजिस्टर में स्तम्भानुसार प्रविष्टियों की गयी हैं।

#### रजिस्टर प्रारूप संख्या-74

इस पंजिका में सिविल प्रकीर्ण वादों से सम्बन्धित वादों की अंकना की जाती है। यह पंजिका अध्याय 14 नियम 40 सामान्य नियम (सिविल) के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2015 से अनुरक्षित की गई है, जिसमें हेडिंग लेबिल चरपा है। इस रजिस्टर में अन्तिम प्रविष्टि दिनांक 0



07.2019 की सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या 213/19 विट्टन देवी बनाम बसन्त लाल गुप्ता अकित है। इस रजिस्टर में स्तम्भानुसार प्रविष्टियों की गयी हैं।

#### प्रकीर्ण सिविल अपील रजिस्टर

यह पंजिका प्रपत्र संख्या-01 (अध्याय 14 नियम 402 सामान्य नियम सिविल) के अन्तर्गत दिनांक 06.08.2015 से अनुरक्षित की गई है। इस पंजिका में एम0सी0ए0 वादों की अंकना की गई है। पंजिका पर हेडिंग व लेबिल चर्या है। इस पंजिका में अंतिम प्रविष्टि दिनांक-07.03.2019, एम0सी0ए0 संख्या-09/2019, मातवदल बनाम सुधील शुक्ला अकित है। इस रजिस्टर में स्तम्भानुसार प्रविष्टियां की गयी हैं।

#### रजिस्ट्रों का रजिस्टर

यह पंजिका न्यायालय से सम्बन्धित रजिस्ट्रों की अंकना से सम्बन्धित है, जो माह 01.11.2018 से अनुरक्षित की गई है। इस पंजिका में न्यायालय से सम्बन्धित सभी रजिस्ट्रों की अंकना कॉलम बनाकर की गई है। पंजिका में लेबिल व हेडिंग नियमानुसार चर्या किया गया है। इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि उपरकर पंजिका है। अतः इस सम्बन्ध में किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

16- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि निरीक्षण व तलाश प्रार्थना-पत्र तथा नकल प्रार्थना-पत्र से सम्बन्धित कोई प्रार्थना-पत्र लम्बित नहीं है। कार्यालय के भौतिक व वास्तविक मुआइना में पाया गया कि पत्रावलियों में कागजात यथास्थान क्रम से नत्थी नहीं किये गये हैं। इस संबंध में कार्यवाहक सत्र लिपिक व मुंसरिम/पेशकार को निर्देशित किया जाता है कि पत्रावलियों में कागजातों को यथास्थान नत्थी करना सुनिश्चित करें तथा पत्रावलियों को उचित कवर में रखना सुनिश्चित करें।

17- निरीक्षण के दौरान मुंसरिम/पेशकार को निर्देशित किया गया कि वह कार्यालय व न्यायालय में उपलब्ध समस्त उपस्करों की सूची उपरकर पंजिका में अंकित करना सुनिश्चित करें तथा न्यायालय पर उपलब्ध विधि पुस्तकों की सूची बनाये तथा मेरे समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

18- निरीक्षण के दौरान न्यायालय कक्ष में साफ-साफई समुचित नहीं पायी गयी। न्यायालय कक्ष में कुल 4 पंखे लगे हुए हैं तथा न्यायालय कक्ष में 07 ट्यूबलाईट लगे हैं, जिनमें से 04 ट्यूबलाईट खराब हैं एवं कार्यालय कक्ष प्रथम तल व द्वितीय तल दो स्थानों पर हैं जिसमें में निरीक्षण के दौरान साफ-साफई समुचित नहीं पायी गयी। कार्यालय कक्ष में लगा ट्यूबलाईट खराब पड़ा है। पत्रावलियों के कुछ फाइल कवर फटे पाये गये। उक्त के सम्बन्ध में वाद लिपि को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब नया फाइल कवर लगाना एवं साफ-साफई कर सुनिश्चित करें और साफ-साफई व प्रकाश की उचित व्यवस्था हेतु नजारात अनुभाग नियमानुसार कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

19- इस न्यायालय में गैंगस्टर से सम्बन्धित मुकदमों व ए0डी0जे0/एफ0टी0 द्वितीय व महिलाओं के प्रति अपराध से सम्बन्धित पत्रावली विचाराधीन हैं। पत्रावलियों की


श्रीमान  
कोर्ट  
वा  
ले  
म  
प

(लगभग 700) के अनुसार एक मात्र कर्मचारी की नियुक्त माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र के अनुसार पर्याप्त नहीं है।


20- निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि न्यायालय में माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायाधीश के आदेश पत्रकों व पीठासीन अधिकारी द्वारा किये कुछ आदेशों को गार्ड फाइल में चरपा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मुरारिम/पेशकार को निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय व जनपद न्यायाधीश के आदेशों पत्रकों व पीठासीन अधिकारियों के द्वारा पारित किये आदेशों को सूचीबद्ध कर गार्ड फाइल में चरपा करना सुनिश्चित करें। न्यायालय/कार्यालय में कोई भी बाहरी व्यक्ति कार्य करता हुआ नहीं पाया गया। निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी को निर्देशित किया गया कि वे माननीय उच्च न्यायालय व माननीय जनपद न्यायाधीश के दिसा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित पश्चिम में आना सुनिश्चित करें।

दिनांक: 19.12.2020

निरीक्षण आख्या में दर्शित त्रुटियों का निराकरण निर्धारित समय के अन्दर सुनिश्चित करने के उपरान्त निरीक्षण आख्या, दो प्रतियों में माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

 19.12.2020  
(रनवीर सिंह)


विशेष न्यायाधीश(मैगस्ट्रेट ऐक्ट)/  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा।

 19.12.2020  
(रनवीर सिंह)

विशेष न्यायाधीश(मैगस्ट्रेट ऐक्ट)/  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा।

दिनांक: 19.12.2020

प्रमाणित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा भौतिक एवं वास्तविक रूप से कर लिया गया है।

 08.01.2021  
(रनवीर सिंह)

विशेष न्यायाधीश(मैगस्ट्रेट ऐक्ट)/  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/  
एफ0टी0सी0 द्वितीय, गोण्डा।

दिनांक: 08.01.2021

Secy.

Sd  
Dr. C. H. Jadhav  
Gond  
12-01-2021